अनवान प्रेमाराम बनाम पुखराज

मुकदमा नंबर 145 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
17.01.2025	पत्रावली पेश हुई।	

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी के हक हिस्से की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 269/130 रकबा 01.4811 हैक्टेयर की सरहद मौजा फुलण तहसील समदड़ी में आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 11 व 12 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 269/130 के आस–पडौस में स्थित खातेदारी भूमि में महंगा व बेसकीमती ग्रेनाईट पत्थर भूमि के गर्भ में स्थित है, जिसकी देश व विदेश में अत्यधिक मांग है। उक्त भूमि के भू–गर्भ में कीमती ग्रेनाईट पत्थर की प्रचूर मात्रा होने के कारण उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिवादीगण 1 से 10 व अन्य लोगो द्वारा अवैध व गैर कानूनी तरीके से ग्रेनाईट पत्थर निकालने की नियत से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से मशीने आदि रखकर वेस्ट पत्थर डाल दिया गया है जिससे उक्त भूमि खेती के लिए अनुपयोगी बन रही है। विप्रार्थीगण धनाड्य एवं राजनैतिक रसुखदार व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से आये दिन अवैध व अनाधिकृत रूप से माठ को तोड़कर गैर कानूनी कृत्य कर रहे है। जिससे तंग आकर प्रार्थी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2023 पत्थरगढी करवाई गई जिसके संबंध में तहसीलदार समदडी द्वारा पालना रिपोर्ट में भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि का कुछ भाग विप्रार्थी संख्या 1 की भूमि की सीमा में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि खाली करने का निवेदन करने के बावजूद भी विप्रार्थी संख्या 1 हठधर्मिता को अपनाते हुए प्रार्थी की भूमि मौके पर खाली नहीं करके मौके पर निर्माण एवं खनन का कार्य किया जा रहा है। जिस हेतु न्यायालय श्री में एक वाद 116/2022 का अन्तर्गत धारा 188 आर.टी एक्ट का पेश किया गया है। दरम्यादन वाद विचारण विप्रार्थीगण 1 उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने की नियत से निर्माण कार्य व खनन करने आमादा है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण 1 को जरिये स्थगन पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा। चूकिः विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है, इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। तथा पत्थरगढी द्वारा उक्त विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी कायम होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। मूल वाद के निर्णय नहीं होने तक विप्रार्थीगण को मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ताफैसला जरिये स्थगन पाबंद किया जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अ[illegible] किया। प्रार्थी का प्र[illegible] पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फुलण तहसील समदड़ी के खे[illegible]रा 269/130 रकबा 01.4811 हैक्टेयर भूमि में विप्रार्थीगण के विरुद्ध तावेद के फैसल तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये [illegible] की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:38 IST
Reason: SelfAttested